इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बनाम
निलोफर सिद्दीकी एवं अन्य

(2009 की दीवानी अपील संख्या 7266)
01 दिसंबर, 2015

[माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. गोपाल गौड़ा तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव रॉय]

अनुबंध — अपीलकर्ता निगम द्वारा गैस एजेंसी का वितरण — उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को संयुक्त रूप से — 'आवंटन पत्र' की शर्त सं. 2 के अनुसार नियुक्ति 'मानक अनुबंध' में निहित शर्तों के अधीन होनी थी, जिसे बाद में प्रदान किया जाना था — 'आवंटन पत्र' की शर्त सं. 8 के अनुसार निगम को बिना कोई कारण बताए वितरकता समाप्त करने की स्वतंत्रता थी — 'मानक अनुबंध' की प्रति कभी भी उत्तरदाताओं को प्रदान नहीं की गई — उत्तरदाता सं. 2 ने अपना हिस्सा अपनी पत्नी (उत्तरदाता सं. 1) के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया — 'मानक अनुबंध' की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर निगम द्वारा वितरकता की समाप्ति — उत्तरदाता सं. 1 द्वारा वाद दायर कर यह घोषणा की प्रार्थना कि समाप्ति अवैध, मनमानी एवं अन्यायपूर्ण है — वाद विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त — प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि — द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त करते हुए वितरकता की समाप्ति को अवैध, मनमानी एवं अन्यायपूर्ण घोषित किया तथा वितरकता की पुनर्स्थापना का निर्देश दिया — अपील पर निरूपितः अनुबंध अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वीकृति पूर्णतः निरपेक्ष होनी चाहिए — 'मानक अनुबंध' आवंटितों को प्रदान नहीं किया गया, अतः इसे संपन्न अनुबंध नहीं माना जा सकता — यह आवंटितों पर विधिसम्मत रूप से बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि यह आवंटितों एवं निगम के मध्य निष्पादित ही नहीं हुआ था — अतः उसके शर्तों के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता — निगम, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है,

निष्पक्ष एवं युक्तिसंगत ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य है — उसका आचरण संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परीक्षण के अधीन है — आवंटन पत्र की शर्त सं. 8, जो बिना कारण बताए एकतरफा समाप्ति का प्रावधान करती है, को अनुच्छेद 14 के आलोक में सीमित अर्थ में पढ़ा जाएगा — निगम को वितरकता पुनर्स्थापित करने का निर्देश — वाद की परिस्थितियों में उत्तरदाता सं. 1 एवं 2 को 1 लाख रुपये की लागत प्रदान की जाएगी — अनुबंध अधिनियम, 1872 — धारा 7 — भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 14 — सार्वजनिक वितरण।

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 — धारा 14(1)(ग) — लागूता — गैस एजेंसी की वितरकता की समाप्ति — न्यायालय द्वारा समाप्ति को अवैध घोषित करते हुए वितरकता की पुनर्स्थापना — क्या धारा 14(1)(ग) के प्रावधानों के आलोक में वितरकता पुनर्स्थापित की जा सकती है — निरूपितः धारा 14(1)(ग) का प्रावधान वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि न तो अनुबंध निरस्त करने योग्य था और न ही किसी कारण से शून्य हुआ था।

अपील को निरस्त करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 ने आवंटन पत्र की शर्तों एवं नियमों के अनुसार साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराया तथा कम से कम दो बार अपीलकर्ता-निगम से कंपनी के मानक अनुबंध को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित करने का अनुरोध किया, किन्तु निगम द्वारा उसे प्रेषित नहीं किया गया। अतः अभिलेख पर उपलब्ध कथनों एवं साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कंपनी का मानक अनुबंध कभी भी उनके द्वारा निष्पादित नहीं किया गया। दोनों उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 ने उक्त मानक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए बिना ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। साझेदारी व्यवसाय का संचालन निगम द्वारा निर्गत आवंटन पत्र की शर्तों एवं नियमों के अनुसार ही होता रहा। अतः निगम का यह दावा कि उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 उक्त मानक अनुबंध से अवगत थे, विधि की दृष्टि से असंगत है। अभिलेख पर ऐसा

कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को उक्त मानक अनुबंध की जानकारी थी या उन्होंने कभी उसकी शर्तों को स्वीकार किया था। जो अनुबंध पक्षकारों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया हो, उसे उनके विरुद्ध विधिसम्मत रूप से प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता। अतः उच्च न्यायालय द्वारा यह सही रूप से निरूपित किया गया कि मानक अनुबंध उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 पर विधिसम्मत रूप से बाध्यकारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह आवंटितों एवं निगम के बीच कभी निष्पादित ही नहीं हुआ था। [कंडिका 27] (1214-ग-फ)

हर हाईनेस महारानी शांति देवी पी. गायकवाड़ बनाम सवजीभाई हरिभाई पटेल एवं अन्य, (2001) 5 एस.सी.सी. 101 : 2001 (2) एस.सी.आर. 590 — संदर्भित।

1.2 अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 स्पष्ट रूप से यह उपबंध करती है कि स्वीकृति पूर्णतः निरपेक्ष होनी चाहिए। चूंकि मानक अनुबंध कभी भी उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को प्रदान नहीं किया गया और उक्त मानक अनुबंध को आवंटितों एवं निगम के मध्य निष्पादित भी नहीं माना जा सकता, अतः विधि की दृष्टि से इसे पक्षकारों के मध्य संपन्न अनुबंध नहीं कहा जा सकता। परिणामस्वरूप, इसे निगम द्वारा वितरकता के आवंटितों पर बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता। जब उक्त मानक अनुबंध बाध्यकारी ही नहीं है, तब उसकी शर्तों एवं नियमों के उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। बल्कि निगम ने आवंटन पत्र की शर्त सं. 2 का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने मानक अनुबंध उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को प्रेषित नहीं किया। [कंडिका 28, 29] (1214-फ; 1215-ग-घ, ई-फ)

1.3 आवंटन पत्र की शर्त सं. 8 अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह निगम को बिना कोई कारण बताए वितरकता को समाप्त करने का निरंकुश अधिकार प्रदान करती है। वर्तमान प्रकरण में उत्तरदाता सं. 2 आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर है तथा उसके पास निगम के साथ कोई सौदेबाजी की क्षमता नहीं थी। जिस समय आवंटन पत्र निर्गत किया गया, उस

समय उत्तरदाता सं. 2 के पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था और वह अपने तथा अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए निगम द्वारा गैस एजेंसी प्रदान किए जाने पर निर्भर था। आवंटन पत्र में मानक शर्तें निहित थीं और उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं था। आवंटन पत्र की शर्त सं. 8, जो बिना कोई कारण बताए एकतरफा रूप से वितरकता समाप्त करने का प्रावधान करती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आलोक में सीमित अर्थ में पढ़ी जाने योग्य है। [कंडिका 30] (1215-फ-ह; 1216-क-ख)

सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली एवं अन्य, (1986) 3 एस.सी.सी. 156 : 1986 (2) एस.सी.आर. 278 — अवलंबन।

दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस एवं अन्य, 1991 परिशिष्ट (1) एस.सी.सी. 600 : 1990 (1) परिशिष्ट एस.सी.आर. 142; *महाबीर ऑटो स्टोर्स एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं अन्य,* (1990) 3 एस.सी.सी. 752 : 1990 (1) एस.सी.आर. 818 — अनुसरण किया गया।

1.4 अपीलकर्ता-निगम, जो भारत सरकार का उपक्रम है, निष्पक्ष एवं युक्तिसंगत ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य है तथा उसका आचरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परीक्षण के अधीन है। [कंडिका 31] (1218-अ)

2. आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में उच्च न्यायालय ने यह यथार्थ रूप से निरूपित किया है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(ग) का प्रावधान वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि आवंटन पत्र तथा पक्षकारों के आचरण से यह प्रतीत होता है कि न तो अनुबंध निरस्त करने योग्य था और न ही किसी कारणवश अमान्य हुआ था। [कंडिका 36] (1219-ई)

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सर्विसेज एवं अन्य, **(1991) 1 एस.सी.सी. 533 : 1990 (3) परिशिष्ट एस.सी.आर. 196 — विशिष्ट।**

3. न्यायालय ने यह अवलोकित किया कि इस प्रकार की वितरकता को समाप्त करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय अपीलकर्ता-निगम को अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए। [कंडिका 39] (1220-ख)

4. उत्तरदाता लगभग 37 वर्षों की अवधि से न्यायालयों में न्याय प्राप्त करने हेतु अपना मूल्यवान समय व्यतीत करते हुए वाद-विवाद कर रहे हैं। उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 पूर्व सैनिक हैं, जिनके पक्ष में वितरकता आवंटित की गई थी, किन्तु उसे मनमाने एवं अन्यायपूर्ण ढंग से समाप्त कर दिया गया। निगम की इस प्रकार की कार्यवाही भारत सरकार की उस सराहनीय योजना के उद्देश्य को विफल करती है, जिसके अंतर्गत पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं आश्रितों के पक्ष में वितरकता का आवंटन किया जाता है। अतः उत्तरदाता सं. 1 एवं 2 को लागत प्रदान किया जाना उपयुक्त है। एक लाख रुपये की लागत उत्तरदाता सं. 1 एवं 2 को अदा की जाए। [कंडिका 40, 41] (1220-ग-ङ, ज)

<u>नज़ीर संदर्भ</u>

2001 (2) एस.सी.आर. 590	कंडिका 18	में संदर्भित
1986 (2) एस.सी.आर. 278	कंडिका 23	अवलंबन
1990 (1) सप्लीमेंट एस.सी.आर. 142	कंडिका 23	में अनुसरण किया गया
1990 (1) एस.सी.आर. 818	कंडिका 24	में अनुसरण किया गया
1990 (3) सप्लीमेंट एस.सी.आर. 196	कंडिका 33	विशिष्ट

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की दीवानी अपील संख्या 7266

पटना उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील संख्या 516 सन् 1988 में पारित दिनांक 03.07.2007 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ता की ओर से- सुश्री पिंकी आनंद, अपर सॉलिसिटर जनरल, श्रीमती प्रिया पुरी तथा सुश्री सोम्या राठौर, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से- कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता, रवि चंद्र प्रकाश, इम्तियाज़ अहमद, निज़ाम पाशा, सुश्री सुषमा सिंह, मुकेश कुमार सिंह, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, प्रभाष कुमार यादव, वी. के. मोंगा, अधिवक्ता।

अब्दुस शफी सिद्दीकी (उत्तरदाता-स्वयं पैरवी में)।

न्यायालय का निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. गोपाल गौड़ा** द्वारा दिया गया।

1. यह दीवानी अपील पटना उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील सं. 516 वर्ष 1988 में दिनांक 03.07.2007 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों को इस आधार पर अपास्त कर दिया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का गलत प्रतिपादन कर अभिलेखीय त्रुटि ही नहीं की, बल्कि विधि के विशिष्ट प्रावधानों तथा आवश्यक एवं प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांतों की भी उपेक्षा की तथा यह भी त्रुटिपूर्ण रूप से *अभिलक्षित* किया कि स्वामित्व वाद सं. 68 वर्ष 1978, प्रतिषेधाधिकार के सिद्धांत से बाधित है।

2. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत परस्पर विधिक अभ्यावेदनों का समुचित मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

अपीलकर्ता—इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में "आई.ओ.सी.एल.") ने वर्ष 1971 में बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में इंडेन गैस (एल.पी.जी.) एजेंसी की वितरकता प्रदान करने हेतु योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित

किए। उक्त वितरकता पूर्व रक्षा कर्मियों, युद्ध विधवाओं एवं आश्रितों के लिए आरक्षित थी। उत्तरदाता सं. 2—पूर्व कैप्टन ए.एस. सिद्दीकी तथा उत्तरदाता सं. 3—पूर्व कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद ने उक्त वितरकता हेतु आवेदन किया और उन्हें यह प्राप्त हुई। दिनांक 15.10.1971 को आई.ओ.सी.एल. ने उक्त वितरकता उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को एक तृतीय व्यक्ति के साथ इस शर्त पर प्रस्तावित की कि वे इंडेन गैस के वितरण व्यवसाय के संचालन हेतु साझेदारी में प्रवेश करने के लिए सहमत हों। यह व्यवस्था देश में अधिकाधिक पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के उद्देश्य से की गई थी। तथापि, उक्त तृतीय व्यक्ति ने साझेदारी स्थापित करने से इंकार कर दिया।

3. आई.ओ.सी.एल. ने अपने पत्र सं. बिक्री/एलपीजी/ईआरएन/3623 दिनांक 21.10.1971 (जिसे आगे "आवंटन पत्र" कहा जाएगा) के माध्यम से, उसमें उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन, उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को इंडेन गैस की वितरकता आवंटित की। उक्त पत्र की शर्त सं. 2 निम्नलिखित है:-

"शर्त संख्या 2: यह नियुक्ति हमारे मानक अनुबंध में निहित शर्तों के अधीन होगी, जिसे आपके हस्ताक्षर हेतु समयानुसार आपको भेजा जाएगा, और आपको उस पर हस्ताक्षर कर उसे हमें वापस भेजना होगा।"

उक्त पत्र की आगे की शर्त संख्या 8 इस प्रकार है :

"समाप्ति :

शर्त संख्या 8: "यहाँ निहित किसी भी बात के बावजूद, निगम को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आपको इस आशय की लिखित 30 दिनों की पूर्व सूचना देकर, बिना कोई कारण बताए, आपकी वितरकता समाप्त कर सके; और उक्त सूचना की अवधि समाप्त होने पर आपकी वितरकता निरस्त एवं समाप्त मानी जाएगी, बिना इस बात के कि समाप्ति से पूर्व उत्पन्न किसी विषय या अधिकार के संबंध में निगम के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल

प्रभाव पड़े।"

4. दिनांक 17.11.1971 को उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 के बीच मुज़फ्फरपुर में इंडेन गैस के वितरण का व्यवसाय "मेसर्स हैप्पी होम्स" (उत्तरदाता सं. 4) के नाम एवं शैली में संचालित करने हेतु विभिन्न नियमों एवं शर्तों पर साझेदारी विलेख निष्पादित किया गया। उक्त साझेदारी विलेख की शर्त सं. 12 इस प्रकार है:-

"12. कोई भी साझेदार, अन्य साझेदार की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, निम्नलिखित किसी भी कार्य को नहीं करेगा:-

(क) साझेदार रहते हुए, वह सीधे या परोक्ष रूप से किसी अन्य ऐसे व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा या उससे संबंधित नहीं होगा, जो फर्म के व्यवसाय से भिन्न हो अथवा उसके साथ प्रतिस्पर्धा करता हो।

xxx xxx xxx

(घ) अपनी साझेदारी में हिस्सेदारी का हस्तांतरण या बंधक नहीं करेगा, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को साझेदार के रूप में सम्मिलित करने का प्रयास नहीं करेगा ..."

5. उत्तरदाता सं. 2 ने पत्र सं. 59582 दिनांक 04.11.1971 के माध्यम से, आई.ओ.सी.एल. से आवंटन पत्र की शर्त सं. 2 में उल्लिखित मानक अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आई.ओ.सी.एल. ने दिनांक 12.11.1971 के पत्र द्वारा उन्हें आश्वासन दिया कि उक्त अनुबंध की प्रति समयानुसार भेज दी जाएगी। इसके पश्चात्, उत्तरदाता सं. 2 ने दिनांक 16.12.1971 को पुनः आई.ओ.सी.एल. से उक्त मानक अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आई.ओ.सी.एल. ने पत्र सं. 3622 दिनांक 31.12.1971 के माध्यम से, उक्त मानक अनुबंध की अनुपलब्धता तथा वितरकता की समाप्ति के संबंध में उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 की आशंकाओं का निराकरण किया। उक्त पत्र सं. 3622 का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

"... यह अनुबंध आपको समयानुसार उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसी भी विषय में कोई गोपनीयता नहीं रखी गई है और जैसे ही अनुबंध तैयार होगा, उसे आपको भेज दिया जाएगा...

xx xx xx

कृपया इस बीच, हम चाहेंगे कि आप बाज़ार को क्रियाशील करने की प्रक्रिया को शीघ्र गति दें ..."

6. दिनांक 23.03.1972 से साझेदारी फर्म मेसर्स हैप्पी होम्स ने, उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 के बीच उक्त मानक अनुबंध निष्पादित हुए बिना ही, इंडेन गैस के वितरण का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। उक्त वितरकता का संचालन आई.ओ.सी.एल. द्वारा जारी आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार ही होता रहा।

7. कुछ समय तक साझेदारी फर्म का व्यवसाय सुचारु रूप से चलता रहा। कुछ महीनों के बाद, उत्तरदाता सं. 3 द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं के कारण साझेदारों अर्थात् उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। उक्त विवाद के निपटारे हेतु उत्तरदाता सं. 2 ने आई.ओ.सी.एल. के हस्तक्षेप की मांग की, किन्तु आई.ओ.सी.एल. ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और साझेदारों को अपना विवाद स्वयं सुलझाने के लिए कहा। दिनांक 27.02.1973 को उत्तरदाता सं. 2 ने पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसकी प्रति रक्षा मंत्री तथा पेट्रोलियम मंत्री को भी प्रेषित की गई, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि या तो साझेदारी व्यवसाय को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए अथवा उसे अपनी साझेदारी हिस्सेदारी अपनी पत्नी श्रीमती निलोफर सिद्दीकी (उत्तरदाता सं. 1) या अपने पिता पूर्व कैप्टन एम. ओज़ैर अथवा स्वर्गीय कैप्टन एम. अम्मार की विधवा, जिनके साथ उसने वास्तव में वितरकता के लिए आवेदन किया था, के नाम हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

8. दिनांक 31.10.1973 को उत्तरदाता सं. 2 एवं 3, आई.ओ.सी.एल. के शाखा

प्रबंधक से मिलने कोलकाता गए। उत्तरदाता सं. 2 ने अपनी साझेदारी में हिस्सेदारी को अपनी पत्नी या अपने पिता के नाम स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की। इस पर उत्तरदाता सं. 3 ने उत्तरदाता सं. 2 द्वारा व्यक्त इच्छा के लिए मौखिक सहमति दे दी। बाद में, उत्तरदाता सं. 3 ने अपनी उक्त मौखिक सहमति की पुष्टि करते हुए दिनांक 15.11.1973 को आई.ओ.सी.एल. के शाखा प्रबंधक को संबोधित एक पत्र लिखा।

9. उत्तरदाता सं. 2 ने दिनांक 17.11.1973 को आई.ओ.सी.एल. के शाखा प्रबंधक को संबोधित पत्र द्वारा अपनी साझेदारी में हिस्सेदारी को अपनी पत्नी अथवा अपने पिता के नाम स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी। दिनांक 02.01.1974 को उत्तरदाता सं. 2 बिहार सरकार की सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त हो गया।

10. आई.ओ.सी.एल. ने दिनांक 25.02.1974 के पत्र द्वारा उत्तरदाता सं. 2 द्वारा किए गए हिस्सेदारी हस्तांतरण के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए इस प्रकार कहा:-

> "... आपको स्मरण होगा कि आपके द्वारा अपने साझेदार के साथ अधोहस्ताक्षरी तथा हमारे शाखा बिक्री प्रबंधक श्री एस.सी. घोष के साथ हुई चर्चा के दौरान स्पष्ट रूप से यह सलाह दी गई थी कि जब तक उन सभी बाधाओं/अनियमितताओं को दूर नहीं किया जाता, जिनके अंतर्गत वर्तमान में वितरकता संचालित की जा रही है, तब तक हम इस प्रकार के किसी भी अनुरोध को अग्रेषित नहीं करेंगे।"

11. इसके पश्चात्, उत्तरदाता सं. 2 ने दिनांक 03.03.1975 को पुनः पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसकी प्रति आई.ओ.सी.एल. को भी भेजी गई, जिसमें वही अनुरोध किया गया; किन्तु पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 27.03.1975 के पत्र द्वारा उक्त अनुरोध अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार, आई.ओ.सी.एल. ने भी दिनांक 17.04.1975 के पत्र द्वारा उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

12. दैनिक समाचारपत्र ''इंडियन नेशन' में प्रकाशित एक सूचना के माध्यम से

उत्तरदाता सं. 2 ने यह सूचित किया कि वह “मेसर्स हैप्पी होम्स” में अपनी हिस्सेदारी अपनी पत्नी अर्थात् उत्तरदाता सं. 1 के पक्ष में हस्तांतरित करना चाहता है, तथा इस संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो उसे आमंत्रित किया गया। आई.ओ.सी.एल. ने अपने पत्र सं. बिक्री/एलपीजी/3710 दिनांक 16.01.1978 द्वारा उक्त वितरकता को समाप्त कर दिया। उक्त पत्र के प्रासंगिक अंश निम्नलिखित हैं:-

> “यह स्पष्ट रूप से समझा गया था कि उपर्युक्त वितरकता के संचालन के दौरान आप कोई अन्य व्यवसाय या रोजगार ग्रहण नहीं करेंगे। नवंबर, 1973 तथा सितंबर, 1975 के अपने पत्रों के माध्यम से कैप्टन सिद्दीकी ने अपनी उक्त वितरकता में अपनी हिस्सेदारी अपने पिता के नाम स्थानांतरित करने की अनुमति हेतु हमसे संपर्क किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें यह सलाह दी गई कि वे दोनों में से किसी एक का चयन करें, अर्थात् या तो अपनी नौकरी बनाए रखें या हमारे वितरक बने रहें। इसके अतिरिक्त, यह भी आपको तथा पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि उन्हें अपनी हिस्सेदारी अपने पिता को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तथापि, उन्होंने इस अनुबंध के उल्लंघन को जारी रखा और अपनी नौकरी से त्यागपत्र नहीं दिया।”
>
> xx xx xx
>
> उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि आपकी वितरकता समाप्त की जाए, और इस पत्र को इस उद्देश्य के लिए हमारा नोटिस माना जाए। कृपया ध्यान दें कि 30 दिनों की अवधि समाप्त होने पर आपकी वितरकता संबंधी अधिकार निरस्त एवं समाप्त माने जाएंगे, बिना इस बात के कि समाप्ति से पूर्व उत्पन्न किसी विषय या अधिकार

के संबंध में निगम के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।"

13. दिनांक 23.01.1978 को उत्तरदाता सं. 2 ने अपनी पत्नी अर्थात् उत्तरदाता सं. 1 के पक्ष में एक हस्तांतरण विलेख (बैमोकासा) निष्पादित किया, जिसके द्वारा उसने अपनी साझेदारी में अपनी हिस्सेदारी अपनी पत्नी के नाम स्थानांतरित कर दी।

14. दिनांक 09.06.1978 को उत्तरदाता सं. 1 ने मुज़फ्फरपुर के कार्यपालक मुंसिफ की न्यायालय में स्वामित्व वाद सं. 68/1978 दायर किया, जिसमें यह घोषणा करने की प्रार्थना की गई कि आई.ओ.सी.एल. द्वारा दिनांक 16.01.1978 के पत्र के माध्यम से की गई वितरकता की समाप्ति अवैध, मनमानी तथा अनुचित है। उत्तरदाता सं. 1 ने वितरकता की पुनर्स्थापना की भी प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 11.04.1985 के निर्णय एवं आदेश द्वारा उक्त वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, अन्य बातों के साथ, उत्तरदाता सं. 2 को अपनी साझेदारी में अपनी हिस्सेदारी अपनी पत्नी अर्थात् उत्तरदाता सं. 1 के नाम हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था।

15. विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, उत्तरदाता सं. 1 ने मुज़फ्फरपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष स्वामित्व अपील सं. 32/1986 दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने दिनांक 13.06.1988 के निर्णय एवं आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया तथा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की।

16. प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, उत्तरदाता सं. 1 ने पटना उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील सं. 516/1988 दायर की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विधि प्रश्नों का प्रतिपादन किया गया तथा उनके समर्थन में विभिन्न उचित आधार प्रस्तुत किए गए। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 03.07.2007 के निर्णय एवं आदेश द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों को अपास्त कर दिया। न्यायालय ने यह घोषित किया कि आई.ओ.सी.एल. द्वारा दिनांक 16.01.1978 को जारी किया गया वितरकता समाप्ति पत्र अवैध, मनमाना एवं अनुचित है तथा वितरकता की

पुनर्स्थापना का निर्देश दिया। अतः, उक्त निर्णय एवं आदेश की विधिक शुद्धता को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता द्वारा यह अपील दायर की गई है, जिसमें कुछ विधि संबंधी प्रश्न उठाए गए हैं।

17. हमने अपीलकर्ता-आई.ओ.सी.एल. की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती पिंकी आनंद, माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, तथा उत्तरदाता सं. 1, 2 एवं 4 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल की दलीलों को सावधानीपूर्वक सुना है। हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यात्मक साक्ष्यों, प्रकरण की परिस्थितियों तथा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी विधिक तर्कों के आलोक में, हमने व्यापक रूप से निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किए हैं, जिन पर विचार एवं निर्णय अपेक्षित है—

i. क्या आई.ओ.सी.एल. को उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 की वितरकता समाप्त करने का अधिकार था?

ii. क्या विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(ग) के प्रावधान इस वाद में लागू होते हैं?

iii. क्या आदेश दिया जाना चाहिए?

<u>बिंदु संख्या 1 पर उत्तर</u>

18. अपीलकर्ता-आई.ओ.सी.एल. की ओर से उपस्थित माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्रीमती पिंकी आनंद ने तर्क दिया कि आई.ओ.सी.एल. को बिना कोई कारण बताए वितरकता समाप्त करने का अधिकार था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह गलत रूप से माना है कि आई.ओ.सी.एल. ने दिनांक 21.10.1971 के आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्त सं. 8 (उपर्युक्त) का उल्लंघन किया, क्योंकि वितरकता को समाप्त करते समय उत्तरदाता सं. 2 को 30 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया, जो एक अनिवार्य शर्त थी। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि शर्त सं. 8 के अंतर्गत अपेक्षित 30

दिनों का नोटिस स्वयं समाप्ति नोटिस में ही दिया गया था। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णय, ***हर हाइनेस महारानी शांति देवी पी. गायकवाड़ बनाम सवजीभाई हरिभाई पटेल एवं अन्य, (2001) 5 एससीसी 101*** पर अवलंबन किया। उनके द्वारा उद्धृत निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

> **54**."5..."न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह पक्षकारों के बीच हुए समझौते को उनकी मंशा के अनुरूप प्रभावी बनाए, और जब वह समझौता लिखित रूप में हो, तो उस मंशा को प्रयुक्त शब्दों में ही खोजा जाना चाहिए, जब तक कि ऐसे संकेत न हों कि वे शब्द मंशा को सही रूप में व्यक्त नहीं करते। यदि वे शब्द स्पष्ट हैं, तो न्यायालय के लिए करने को बहुत कम शेष रहता है। न्यायालय को शब्दों के साधारण अर्थ को प्रभावी बनाना चाहिए, चाहे परिणाम उसे अप्रिय ही क्यों न लगे। हमने पूर्व में धारा 10 का उल्लेख किया है और हमें उसमें प्रयुक्त भाषा के अर्थ को लेकर कोई कठिनाई या संदेह नहीं है। वास्तव में, प्रयुक्त भाषा अत्यंत स्पष्ट है।"

अतः, उत्तरदाता सं. 2 की इंडेन गैस की वितरकता की समाप्ति, आई.ओ.सी.एल. द्वारा जारी आवंटन पत्र में निहित नियमों एवं शर्तों के अनुसार विधिसम्मत, उचित एवं न्यायसंगत थी, जिसे उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष दर्ज करते समय तथा उक्त महत्वपूर्ण विधि प्रश्न का उत्तर देते हुए सही रूप में विचार एवं मूल्यांकन नहीं किया।

19. उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है कि उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 ने मानक अनुबंध की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया, इस आधार पर कि उक्त अनुबंध उन्हें कभी प्रदान ही नहीं किया गया। इस बिंदु पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष न केवल विधि के विरुद्ध है, बल्कि तथ्यात्मक रूप से भी त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को मानक अनुबंध की शर्तें बताई गई थीं तथा उन्हें विशेष रूप

से धारा 21 के संबंध में अवगत कराया गया था, जो यह प्रतिबंधित करती है कि साझेदार आई.ओ.सी.एल. की अनुमति के बिना अपनी हिस्सेदारी किसी बाहरी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित नहीं कर सकते। यह तथ्य कि उत्तरदाता सं. 2 ने बार-बार अपनी हिस्सेदारी अपनी पत्नी के नाम हस्तांतरित करने हेतु आई.ओ.सी.एल. से अनुमति मांगी, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह अनुबंध की उक्त शर्त से अवगत था। मानक अनुबंध की धारा 21 इस प्रकार है:-

> "21.वितरक अपनी वितरकता में अपने हित, अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत उसे प्राप्त अधिकार, हित या लाभ को किसी भी व्यक्ति को न तो बेचेगा, न हस्तांतरित करेगा, न बंधक रखेगा और न ही किसी अन्य प्रकार से उससे पृथक होगा। यदि वितरक एक साझेदारी फर्म है, तो फर्म की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वह सेवानिवृत्ति, नए साझेदारों के सम्मिलन अथवा किसी अन्य प्रकार से हो, निगम की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुमन्य नहीं होगा, भले ही निगम ने ऐसी पुनर्गठित फर्म के साथ व्यवहार किया हो या वितरक द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित किसी उल्लंघन या चूक को निहित रूप से त्याग दिया हो अथवा उसे क्षमा कर दिया हो।"

20. उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि वितरकता की समाप्ति की वैधता का परीक्षण निजी विधि तथा संविदा विधि के सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि संवैधानिक या सार्वजनिक विधि के मानदंडों पर। वर्तमान मामले में विवाद पूर्णतः पक्षकारों के बीच संविदा के उल्लंघन से संबंधित है, और यदि उत्तरदाता सं. 1 एवं 2 अपीलकर्ता की ओर से किसी उल्लंघन को सिद्ध भी कर देते हैं, तो वे अधिकतम हर्जाने के हकदार हो सकते हैं, न कि वादपत्र में प्रार्थित घोषणात्मक राहत तथा उससे संबंधित अनुषंगी राहत के।

21. इसके विपरीत, उत्तरदाता सं. 1, 2 एवं 4 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने विभिन्न तथ्यात्मक एवं विधिक तर्क प्रस्तुत करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश का समर्थन किया तथा उसे उचित ठहराने का प्रयास किया।

22. उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 ने आई.ओ.सी.एल. द्वारा प्रदान किए गए वितरकता के आवंटन पत्र की सभी शर्तों एवं नियमों का पालन किया था। इसके विपरीत, आई.ओ.सी.एल. ने ही उक्त शर्तों का उल्लंघन किया, क्योंकि उत्तरदाता सं. 2 द्वारा बार-बार मांग किए जाने के बावजूद उसने मानक अनुबंध की प्रति उपलब्ध नहीं कराई। उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 ने दिनांक 23.03.1972 से आवंटन पत्र के आधार पर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। किसी भी समय उन्हें आई.ओ.सी.एल. द्वारा मानक अनुबंध की शर्तों से अवगत नहीं कराया गया। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि जो अनुबंध पक्षकारों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया हो, उसे उनके विरुद्ध विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अतः, मानक अनुबंध की शर्तों को उन पर बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फलतः, उक्त मानक अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के आधार पर इंडेन गैस की वितरकता की समाप्ति अवैध है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने कारणयुक्त निर्णय में महत्वपूर्ण विधि प्रश्न का उत्तर उत्तरदाता सं. 1 एवं 2 के पक्ष में देते हुए सही रूप में घोषित किया है।

23. उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि आवंटन पत्र की शर्त सं. 8 के अनुसार आई.ओ.सी.एल. को यह अधिकार सुरक्षित था कि वह 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताए, वितरकता समाप्त कर सकता है। उक्त 30 दिनों के नोटिस का उद्देश्य यह था कि उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को प्रस्तावित समाप्ति के विरुद्ध अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सके, जब आई.ओ.सी.एल. शर्त सं. 8 के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करे। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आई.ओ.सी.एल. ने स्वयं ही

आवंटन पत्र की शर्त सं. 8 में निहित प्रावधानों का पूर्णतः उल्लंघन किया है। उसने बिना कोई विधिवत नोटिस दिए, मनमाने ढंग से एक पत्र जारी कर, अप्रासंगिक कारणों के आधार पर वितरकता समाप्त कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। अपनी आगे की दलीलों में उन्होंने आवंटन पत्र की शर्त सं. 8 को ही चुनौती दी। उनका कहना था कि उक्त शर्त अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इससे आई.ओ.सी.एल. को यह असीमित अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह बिना कोई कारण बताए उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 की इंडेन गैस वितरकता को समाप्त कर सके। अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय ***सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली एवं अन्य, (1986) 3 एससीसी 156*** पर दृढ़तापूर्वक अवलंबन किया, जिसे इस न्यायालय की संविधान पीठ ने ***दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस एवं अन्य,1991 अनुपूरक (1) एससीसी 600*** के वाद में भी अनुमोदित किया है। उक्त ***सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट*** वाद (उपरोक्त) का प्रासंगिक अनुच्छेद इस निर्णय के आगामी भाग में उद्धृत किया गया है।

24. उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि आई.ओ.सी.एल., जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य है, तथा उसका आचरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि आई.ओ.सी.एल. की कार्रवाई मनमानी एवं अत्यधिक दमनकारी थी। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णय ***महाबीर ऑटो स्टोर्स एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य,*** **(1990) 3 एससीसी** ***752*** पर दृढ़तापूर्वक अवलंबन किया। उक्त मामले के कंडिका 12 का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

> "12. यह सुव्यवस्थित विधि सिद्धांत है कि राज्य अथवा राज्य के किसी साधन द्वारा उसकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई प्रत्येक कार्रवाई तर्कसंगत होनी चाहिए। उपयुक्त मामलों में, जो कार्य बिना तर्क

के किए गए हों, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा 32 के अंतर्गत मनमाना कहकर चुनौती दी जा सकती है। इस संदर्भ में *राधा कृष्ण अग्रवाल बनाम बिहार राज्य* में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर अवलंबन किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया, इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह प्रतीत होता है कि उत्तरदाता कंपनी आई.ओ.सी. संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य का अंग या राज्य का साधन है। राज्य, संविधान के अनुच्छेद 298 के अंतर्गत, व्यक्तियों के साथ अनुबंध करने या न करने में अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसे शक्ति प्रयोग पर अनुच्छेद 14 लागू होता है। अतः, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य के इस प्रकार के कार्यों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। *राधा कृष्ण अग्रवाल बनाम बिहार राज्य* (पृष्ठ 462) का अवलोकन करें; तथापि, संविधान का अनुच्छेद 14 इस प्रकार नहीं माना गया है और न ही इसकी ऐसी व्याख्या की गई है कि वह अनुबंध संपन्न हो जाने के पश्चात् राज्य की प्रत्येक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए एक अधिकार-पत्र (चार्टर) बन जाए, जिससे राज्य को अपनी विविध गतिविधियों में किए गए कार्यों के लिए कारण प्रस्तुत करने हेतु बाध्य किया जा सके। इस प्रकार की स्थिति में, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आने वाली किसी राज्यीय संस्था की कुछ गतिविधियाँ, परिस्थितियों के आधार पर, अनुबंध करने या न करने के संबंध में अनुच्छेद 14 के अधीन हो सकती हैं और उन्हें युक्तिसंगत तथा विधिसम्मत एवं प्रासंगिक आधारों पर ही किया जाना चाहिए। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि सुनवाई आवश्यक है या नहीं तथा कारण बताए जाने चाहिए या नहीं।

यदि नागरिकों को प्रदत्त किसी अधिकार में हस्तक्षेप किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई अनुच्छेद 14 के अधीन होगी और उसे युक्तिसंगत तथा विधिसम्मत एवं लोकहित के प्रासंगिक आधारों पर ही किया जा सकता है। जब राज्य की ऐसी कार्रवाई में मनमानी होती है—विशेषकर अनुबंध करने या न करने के संदर्भ में—तब अनुच्छेद 14 सक्रिय हो जाता है और न्यायिक समीक्षा ऐसी कार्रवाई को निरस्त कर देती है। राज्य की प्रत्येक कार्यपालिका कार्रवाई विधि के शासन के अधीन होनी चाहिए तथा तर्कसंगत आधारों पर आधारित होनी चाहिए। अतः, चाहे सार्वजनिक प्राधिकरण की गतिविधि एकाधिकार या अर्द्ध-एकाधिकार स्वरूप की ही क्यों न हो, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना होगा। यदि सरकारी कार्रवाई, यहाँ तक कि अनुबंध करने या न करने के मामलों में भी, युक्तिसंगतता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तो वह अवैध मानी जाएगी। इस संदर्भ में *ई.पी. रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी, आर.डी. शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा द्वारकादास मार्फतिया एंड संस बनाम बॉम्बे पत्तन न्यासी मंडल* के निर्णयों का उल्लेख किया जा सकता है। हमारे मत में, तर्क का सिद्धांत, मनमानी एवं भेदभाव के विरुद्ध नियम, निष्पक्षता तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत—ये सभी विधि के शासन के अभिन्न अंग हैं, जो राज्य की संस्थाओं द्वारा नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय लागू होते हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में है। यद्यपि नागरिकों के अधिकार संविदात्मक प्रकृति के हो सकते हैं, तथापि अनुबंध करने या न करने के निर्णय की प्रक्रिया, विधि, उद्देश्य एवं कारण न्यायिक समीक्षा के अधीन

होते हैं, जिन्हें प्रासंगिकता, युक्तिसंगतता, निष्पक्षता, प्राकृतिक न्याय, समानता एवं भेदभाव-रहित व्यवहार की कसौटी पर परखा जाता है, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में अपेक्षित है।"

25. उत्तरदाता सं. 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री वी.के. मोंगा ने अपनी दलीलों में अपीलकर्ता-आई.ओ.सी.एल. की ओर से माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्रीमती पिंकी आनंद द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया।

26. उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य एवं विधि दोनों के संबंध में दिए गए निष्कर्षों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् तथा पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी विधिक दलीलों पर विचार करने के उपरांत, हम श्री कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत हैं। हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया है और स्वीकृत तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता-आई.ओ.सी.एल. ने दिनांक 21.10.1971 के आवंटन पत्र के माध्यम से कुछ नियमों एवं शर्तों के अधीन उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को इंडेन गैस (एल.पी.जी.) की वितरकता प्रदान की थी।

यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 ने आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराया तथा कम से कम दो बार आई.ओ.सी.एल. से कंपनी के मानक अनुबंध को हस्ताक्षर हेतु भेजने का अनुरोध किया, किन्तु आई.ओ.सी.एल. ने उसे भेजने में विफलता प्रदर्शित की। अतः, अभिलेख पर उपलब्ध कथनों एवं साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंपनी का मानक अनुबंध उनके द्वारा कभी निष्पादित नहीं किया गया था।

27. दिनांक 23.03.1972 को उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 ने उक्त मानक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए बिना ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। साझेदारी व्यवसाय आई.ओ.सी.एल. द्वारा जारी आवंटन पत्र की शर्तों एवं नियमों के अनुसार ही संचालित होता रहा। अतः, आई.ओ.सी.एल. का यह दावा कि उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 उक्त मानक अनुबंध से

अवगत थे, विधि की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को उक्त मानक अनुबंध की शर्तों का ज्ञान था या उन्होंने कभी उन्हें स्वीकार किया था। हम श्री सिब्बल द्वारा प्रस्तुत इस तर्क से सहमत हैं कि जो अनुबंध पक्षकारों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया हो, उसे उनके विरुद्ध विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अतः, उच्च न्यायालय ने यह सही रूप से निर्णय दिया कि मानक अनुबंध उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह आवंटित व्यक्तियों और आई.ओ.सी.एल. के बीच कभी निष्पादित ही नहीं हुआ था।

28. अतिरिक्त रूप से, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 7 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए। यह इस प्रकार है:-

> "किसी प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के लिए स्वीकृति—
>
> (1) पूर्ण तथा बिना शर्त होनी चाहिए।
>
> (2) सामान्य एवं युक्तिसंगत तरीके से व्यक्त की जानी चाहिए, जब तक कि प्रस्ताव में स्वीकृति का कोई विशेष तरीका निर्धारित न किया गया हो। यदि प्रस्ताव में स्वीकृति का तरीका निर्धारित किया गया हो और स्वीकृति उस तरीके से न की गई हो, तो प्रस्तावकर्ता, स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के बाद युक्तिसंगत समय के भीतर यह आग्रह कर सकता है कि उसकी प्रस्तावना निर्धारित तरीके से ही स्वीकार की जाए, अन्यथा नहीं; किन्तु यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह स्वीकृति को मान्य माना जाएगा।"

अभिलेख पर उपलब्ध कथनों एवं साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि मानक अनुबंध उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को कभी प्रदान नहीं किया गया था और उक्त मानक अनुबंध को आवंटित व्यक्तियों तथा आई.ओ.सी.एल. के बीच निष्पादित माना नहीं जा सकता। अतः,

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा संविदा अधिनियम के उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, विवादित मानक अनुबंध को विधि की दृष्टि से पक्षकारों के बीच संपन्न अनुबंध नहीं माना जा सकता। परिणामतः, उसे आई.ओ.सी.एल. द्वारा वितरकता के आवंटित व्यक्तियों पर बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता।

29. जहाँ तक उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 द्वारा मानक अनुबंध की धारा 21 (उपर्युक्त) के कथित उल्लंघन का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त कारणों के अनुसार उक्त मानक अनुबंध पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है, और जब उक्त मानक अनुबंध बाध्यकारी ही नहीं है, तब उसकी शर्तों के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसके विपरीत, आई.ओ.सी.एल. ने स्वयं आवंटन पत्र की शर्त सं. 2 (उपर्युक्त) का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने मानक अनुबंध उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को उपलब्ध नहीं कराया।

30. हम श्री सिब्बल द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत हैं कि आवंटन पत्र की शर्त सं. 8 अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह आई.ओ.सी.एल. को बिना कोई कारण बताए वितरकता समाप्त करने का असीमित अधिकार प्रदान करती है। वर्तमान प्रकरण में, उत्तरदाता सं. 2 आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर स्थिति में था तथा उसके पास आई.ओ.सी.एल. के साथ कोई सौदेबाजी की शक्ति नहीं थी। जिस समय आवंटन पत्र जारी किया गया था, उस समय उत्तरदाता सं. 2 के पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था और वह अपने तथा अपने परिवार के भरण-पोषण हेतु आई.ओ.सी.एल. द्वारा प्रदत्त इंडेन गैस एजेंसी पर निर्भर था। आवंटन पत्र में मानक शर्तें निहित थीं और उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 को उनमें कोई परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त नहीं था। आवंटन पत्र की शर्त सं. 8 एकतरफा रूप से बिना कोई कारण बताए वितरकता समाप्त करने का प्रावधान करती है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आलोक में तथा इस न्यायालय द्वारा ***सेंट्रल इनलैंड वाटर कॉरपोरेशन लिमिटेड*** के प्रकरण (उपर्युक्त) में की गई टिप्पणियों के अनुसार सीमित किया जाना आवश्यक है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कंडिका निम्नलिखित है:-

"89. क्या हमारे न्यायालयों को समय के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या उन्हें अब भी पुराने सिद्धांतों और जर्जर विचारधाराओं से चिपके रहना चाहिए? क्या हमें अपने विचारों को वर्तमान समय के अनुरूप नहीं ढालना चाहिए? क्या समस्त विधिशास्त्रीय विकास हमें पीछे छोड़ दे और हम उन्नीसवीं शताब्दी के सिद्धांतों में ही उलझे रहें? क्या शक्तिशाली को कमजोर को दीवार से लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या उन्हें कमजोरों के अधिकारों को रौंदने की छूट दी जानी चाहिए? क्या न्यायालय मूकदर्शक बने रहें जब शक्तिशाली, कमजोरों के अधिकारों का उल्लंघन करें? हमारे देश का एक संविधान है। हमारे न्यायाधीश अपनी शपथ से बाध्य हैं कि वे "संविधान और विधियों का पालन एवं संरक्षण" करेंगे। संविधान इस देश के सभी नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। उपरोक्त चर्चा से जो सिद्धांत प्रतिपन्न होता है, वह न्याय एवं तर्क के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और जो अनुच्छेद 14 में निहित समानता के महान सिद्धांत के अनुरूप है। यह सिद्धांत यह है कि न्यायालय ऐसे अनुबंध को लागू नहीं करेंगे, और यदि उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया जाए तो वे ऐसे अनुबंध अथवा अनुबंध की किसी शर्त को निरस्त कर देंगे, जो अन्यायपूर्ण एवं अव्यवहारिक हो, और जो ऐसे पक्षकारों के बीच संपन्न हुआ हो जिनकी सौदेबाजी की शक्ति समान नहीं है। ऐसे सभी प्रकार के अनुबंधों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करना कठिन है। कोई भी न्यायालय उन सभी संभावित

परिस्थितियों की कल्पना नहीं कर सकता जो मानव जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। केवल कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, यह सिद्धांत वहाँ लागू होगा जहाँ सौदेबाजी की शक्ति में असमानता पक्षकारों की आर्थिक स्थिति में भारी अंतर के कारण उत्पन्न हुई हो। यह वहाँ भी लागू होगा जहाँ यह असमानता परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई हो, चाहे वे पक्षकारों द्वारा निर्मित हों या नहीं। यह उन स्थितियों में भी लागू होगा जहाँ कमजोर पक्ष को वस्तुएँ, सेवाएँ या आजीविका के साधन केवल उन्हीं शर्तों पर प्राप्त हो सकते हों जो शक्तिशाली पक्ष द्वारा निर्धारित की गई हों, अन्यथा नहीं। यह सिद्धांत वहाँ भी लागू होगा जहाँ किसी व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं हो, या कहें कि कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो, सिवाय इसके कि वह अनुबंध को स्वीकार करे या निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर करे या अनुबंध का हिस्सा बने नियमों को स्वीकार करे, चाहे वे शर्तें कितनी ही अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक या अनुचित क्यों न हों। हालाँकि, यह सिद्धांत उन स्थितियों में लागू नहीं होगा जहाँ अनुबंध करने वाले पक्षकारों की सौदेबाजी की शक्ति समान या लगभग समान हो। यह सिद्धांत वहाँ भी लागू नहीं हो सकता जहाँ दोनों पक्ष व्यापारी हों और अनुबंध एक वाणिज्यिक लेन-देन हो। वर्तमान जटिल विश्व में, जहाँ विशाल निगम अपने व्यापक ढाँचागत संगठन के साथ कार्यरत हैं और राज्य अपनी संस्थाओं एवं एजेंसियों के माध्यम से उद्योग एवं वाणिज्य के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, ऐसी अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनसे पक्षकारों के बीच अत्यंत असमान सौदेबाजी शक्ति के कारण अन्यायपूर्ण एवं अव्यवहारिक अनुबंध उत्पन्न होते हैं। ऐसे मामलों को न तो पूर्णतः सूचीबद्ध किया जा सकता

> है और न ही समुचित रूप से उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। न्यायालय को प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर करना होगा।"

31. इसके अतिरिक्त, माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिब्बल ने ***महाबीर ऑटो स्टोर्स*** के प्रकरण (उपर्युक्त) पर अवलंबन करते हुए यह सही रूप से तर्क दिया है कि आई.ओ.सी.एल., जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, निष्पक्ष एवं युक्तिसंगत ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य है तथा उसका आचरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा जाएगा।

बिंदु संख्या 2 पर उत्तर

32. अपीलकर्ता-आई.ओ.सी.एल. की ओर से उपस्थित माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्रीमती पिंकी आनंद ने यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा वितरकता की पुनर्स्थापना का दिया गया राहत आदेश त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वह विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 14(1)(ग) के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि वर्तमान प्रकरण में अनुबंध स्वभावतः निरस्त करने योग्य है और अधिनियम की धारा 14(1)(ग) के अनुसार ऐसे अनुबंध, जो निरस्त करने योग्य हों, न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तनीय नहीं किए जा सकते। अतः, उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा जाना कि अधिनियम की धारा 14(1)(ग) वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होती, एक स्पष्ट त्रुटि है।

33. उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा आई.ओ.सी.एल. को समाप्त की गई वितरकता को पुनर्स्थापित करने का दिया गया निर्देश विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार वितरकता समाप्त हो जाने के पश्चात्, भले ही वह संविदा के उल्लंघन में ही क्यों न की गई हो, उसे उत्तरदाता सं. 2 के पक्ष में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, और उपलब्ध एकमात्र उपाय आई.ओ.सी.एल. से क्षतिपूर्ति का

दावा करना है। अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय ***इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सर्विसेज एवं अन्य,(1991) 1 एससीसी 533*** पर दृढ़तापूर्वक अवलंबन किया।

34. इसके विपरीत, माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने यह तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 14(1)(ग) के अंतर्गत वाद की ग्राह्यता का प्रश्न आई.ओ.सी.एल. द्वारा न तो विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया गया था और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवंटन पत्र तथा पक्षकारों के आचरण से यह स्पष्ट है कि न तो अनुबंध निरस्त करने योग्य था और न ही वह किसी कारण से शून्य हुआ था। अतः, अधिनियम की धारा 14(1)(ग) के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही रूप में निर्णय किया है।

35. उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आई.ओ.सी.एल. द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में उद्धृत ***अमृतसर गैस सर्विसेज एवं अन्य*** का निर्णय वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वह मामला मध्यस्थता विधि से संबंधित है। वर्तमान प्रकरण में आवंटन पत्र से यह स्पष्ट है कि उसमें कोई मध्यस्थता खंड निहित नहीं था, जिससे मध्यस्थता विधि तथा उससे संबंधित न्यायिक निर्णयों का अनुप्रयोग आकर्षित हो सके।

36. हम श्री सिब्बल द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत हैं। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय एवं आदेश में यह सही रूप से प्रतिपादित किया है कि अधिनियम की धारा 14(1)(ग) के प्रावधान वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। इस संबंध में उसने इस प्रकार कहा है:-

> "10.(iii) इसके अतिरिक्त, अनुबंध की शर्तों अर्थात् आवंटन पत्र तथा पक्षकारों के आचरण से यह प्रतीत होता है कि न तो अनुबंध निरस्त करने योग्य था और न ही वह किसी कारणवश शून्य हुआ था। अतः, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14(1)(ग) के प्रावधान वर्तमान

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होते और वाद को उक्त प्रावधान के अंतर्गत विधिसम्मत रूप से ग्राह्य नहीं ठहराया जा सकता..."

37. इसके अतिरिक्त, आवंटन पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें कोई मध्यस्थता प्रावधान निहित नहीं है। अतः, आई.ओ.सी.एल. द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में उद्धृत ***अमृतसर गैस सर्विसेज*** (उपर्युक्त) का निर्णय इस प्रकरण में अप्रासंगिक है।

<u>बिंदु संख्या 3 पर उत्तर</u>

38. उपरोक्त कारणों के आधार पर हम इस मत के हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णयों एवं आदेशों में निहित त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

39. इस वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हैं कि इस प्रकार की वितरकता को समाप्त करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय अपीलकर्ता-आई.ओ.सी.एल. को अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए। उपर्युक्त कारणों से यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

40. व्यय के प्रश्न पर हमारा मत है कि चूँकि उत्तरदाता लगभग 37 वर्षों से न्यायालयों में न्याय की प्राप्ति हेतु अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करते हुए वाद-विवाद करते रहे हैं, अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में वे व्यय प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उत्तरदाता सं. 2 एवं 3 भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनके पक्ष में उक्त वितरकता आवंटित की गई थी, जिसे मनमाने एवं अनुचित ढंग से समाप्त कर दिया गया। आई.ओ.सी.एल. का यह आचरण भारत सरकार की उस प्रशंसनीय योजना के उद्देश्य को विफल करता है, जिसके अंतर्गत भूतपूर्व रक्षा कर्मियों, युद्ध विधवाओं एवं आश्रितों के पक्ष में वितरकता आवंटित की जाती है। अतः, उत्तरदाता सं. 1 एवं 2 को व्यय प्रदान किया जाना न्यायसंगत है।

41. तदनुसार, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं—

(i) यह दीवानी अपील निरस्त की जाती है। दिनांक 13.12.2007 को प्रदान किया गया स्थगन आदेश निरस्त माना जाएगा।

(ii) अपीलकर्ता-आई.ओ.सी.एल. को निर्देशित किया जाता है कि वह एल.पी.जी. वितरकता को उत्तरदाता सं. 1 या 2 एवं 3 के पक्ष में तत्काल पुनर्स्थापित करे तथा इस संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

(iii) रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये) की लागत उत्तरदाता सं. 1 एवं 2 को, निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अदा की जाए।

(iv) सभी लंबित आवेदन निष्पादित किए जाते हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।